न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 47 / 2024 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये प्रेमचन्द शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम

1. अंकित कुमार पुत्र सिद्ध नारायण कुशवाहा मैसर्स रिलायंस रिटेल लिमि. प्लॉट नं. बी–1, सुजुकी कॉलोनी, हमीरगढ रोड भीलवाडा
2. मोहम्मद रजा खान (नोमिनी) मैसर्स रिलायंस रिटेल लिमि. प्लॉट नं. बी–1, सुजुकी कॉलोनी, हमीरगढ रोड भीलवाडा
3. चन्द्रप्रकाश डंगायच पुत्र सत्यनारायण डंगायच मैसर्स सत्यनारायण राजेन्द्र कुमार, शॉप नं. 70 चांदपोल बाजार, जयपुर 302001
4. सुरेश कुमार पुत्र पोसाराम मैसर्स भोला बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमि. निवासी – गोगाजी बस स्टैण्ड मण्डवाला के पास, मण्डलवाला जालोर, राजस्थान – 343042
5. मैसर्स भोला बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमि. निवासी – गोगाजी बस स्टैण्ड मण्डवाला के पास, मण्डलवाला जालोर, राजस्थान – 343042

– प्रार्थी —विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रतिनिधि

4 विपक्षी संख्या 03 से 05 की ओर से प्रतिनिधि

आदेश

दिनांक 29.11.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना कमांक एच / पीएफए / नोटिफिकेशन / 2011 / 440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी अंकित कुमार पुत्र सिद्व नारायण कुशवाहा मैसर्स रिलायंस रिटेल लिमि. प्लॉट नं. बी–1, सुजुकी कॉलोनी, हमीरगढ रोड भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम

में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। विपक्षी संख्या 03 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी एवं विपक्षी अधिवक्ता उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना Ghee (Krishna) मिसब्राण्डेड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में Ghee (Krishna) में Use By/Expiry – Absent. Contravention of Regulation No. 5 (10)(a) of food safety and standards (Labeling and display) regulations 2020 chapter-2. पाया गया। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा मिसब्राण्डेड Ghee (Krishna) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूंना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी संख्या 01, 02 व 03 ने अपनी बहस में बताया कि वे उक्त सामग्री के रिटेलर हैं, जोकि पैक माल खरीदकर पैक अवस्था में ही विक्रय किया जाता हैं। प्रिन्ट की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता पर होती हैं। एक्सपायरी डेट देखकर ही सामग्री क्रय की थी। विपक्षी संख्या 01, 02 व 03 की कोई गलती नहीं हैं। विपक्षी संख्या 01, 02 व 03 को उक्त प्रकरण में माफी प्रदान करावें। विपक्षी संख्या 04 व 05 ने अपनी बहस में बताया कि फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट नही पायी गयी। मात्र एक्सपायरी/यूज बाई नही लिखने मात्र से सैंपल मिसब्राण्ड नही हो सकता हैं। इसके स्थान पर बेस्ट बिफोर लिखा गया हैं, जिसमें कोई गलती नही हैं। निवेदन हैं कि विपक्षी के विरूद्व की जा रही कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. एल.एस./1342/एक्ट/2022/167 दिनांक 08.12.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, Ghee (Krishna) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण मिसब्राण्डेड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में Ghee (Krishna) में Use By/Expiry – Absent. Contravention of Regulation No. 5 (10)(a) of food safety and standards (Labeling and display) regulations 2020 chapter-2. पाया गया। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया एवं विपक्षीगणों द्वारा मिसब्राण्डेड Ghee (Krishna) विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण Ghee (Krishna) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा मिसब्राण्डेड Ghee (Krishna) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 52 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा

की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षीगण द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप विपक्षी संख्या 01 पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत 5,000/रूपये, विपक्षी संख्या 02 पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत 5,000/रूपये, विपक्षी संख्या 03 पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत 10,000/रूपये, एवं विपक्षी संख्या 04 व 05 पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत 30,000/रूपये, शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें। निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 अंकित कुमार पुत्र सिद्ध नारायण कुशवाहा मैसर्स रिलायंस रिटेल लिमि. प्लॉट नं. बी–1, सुजुकी कॉलोनी, हमीरगढ रोड भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

3 मोहम्मद रजा खान (नोमिनी) मैसर्स रिलायंस रिटेल लिमि. प्लॉट नं. बी–1, सुजुकी कॉलोनी, हमीरगढ रोड भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

4 चन्द्रप्रकाश डंगायच पुत्र सत्यनारायण डंगायच मैसर्स सत्यनारायण राजेन्द्र कुमार, शॉप नं. 70 चांदपोल बाजार, जयपुर 302001 को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

5 सुरेश कुमार पुत्र पोसाराम मैसर्स भोला बाबा मिल्क फूड इण्डस्ट्रीज लिमि. निवासी – गोगाजी बस स्टैण्ड मण्डवाला के पास, मण्डलवाला जालोर, राजस्थान – 343042 को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)